

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) /स.प.अ./ 20 /2022 दिनांक : 17.02.2022

सुश्री प्रेमलता सैनी (RJ0434), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिकराय (दौसा) को दिनांक 28.02.2022 से 05.03.2022 तक 06 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 26.02.2022 से 27.02.2022 एवं 06.03.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री सैनी की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, बांदीकुई (दौसा) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिकराय (दौसा) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/67/2002/1155

दिनांक : 17.02.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा को उनके पत्रांक 1387 दिनांक 07.02.2022 के सन्दर्भ में।
3. सुश्री प्रेमलता सैनी (RJ0434), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिकराय (दौसा)।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिकराय (दौसा)।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, बांदीकुई (दौसा)।

सहायक रजिस्ट्रार